न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/32

गोपीलाल पुत्र श्री गेन्दया आयु 52 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. पिन्टू कुमार पुत्र श्री गेन्दया आयु 39 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. गोविन्द लाल पुत्र श्री गेन्दया आयु 46 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. गीता बाई पुत्री श्री गेन्दया आयु 43 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मनभर पुत्री श्री गेन्दया आयु 66 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. गोपाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   - 5/1. भंवर लाल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 5/2. मोहन पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 5/3. मदन पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 5/4. रामप्रसाद पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 5/5. मांगी बाई पुत्री गोपाल पत्नी सोजी लाल जाति धाकड निवासी ग्राम कुम्हारला के बालाजी पोस्ट जजवार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. रामरतन पुत्र कालू आयु 60 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. शोभाग पुत्र रामकुंवार आयु 45 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. भूली बाई पुत्री रामकुंवार आयु 48 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।
3. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 5/1 सो 5/4, 6 7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 10.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 29.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम समिधि तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 323 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम समिधि तहसील नैनवा में ही भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 की सम्मिलित खातेदारी प्रार्थी की आधिपत्य की भूमि है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि में जाने का एकमात्र रास्ता समिधी से उनियारा जाने वाले रास्ते से हटकर खसरा नम्बर 301, 300 एवं 302 की मेड पर होता हुआ खसरा नम्बर 322 व खसरा नम्बर 321 की मेड पर होता हुआ दक्षिण की तरफ हाकर खसरा नम्बर 323 पर पहुंचता है । खसरा नम्बर 323 की पश्चिमी तरफ की भूमि प्रार्थी के बाहमी विभाजन में प्रार्थी के हिस्से में आई है । अप्रार्थी कम 01 व अप्रार्थी कम 4 लगायत 8 के बीच में मेड पडी हई है जिसके बीच में होकर रास्ता निकलता है । प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट "अ" भी पेश है जिसमें रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है । यह रास्ता अनाधिकाल से बना हुआ है जिस पर होकर आवागमन करने, ट्रेक्टर हल, कुली बैलगाडी आदि कृषि उपकरण लाने ले जाने के काम में प्रार्थी एवं पूर्व खातेदार लेते आ रहे हैं जिसका सुखाधिकार प्रार्थी को प्राप्त हो चुका है । परिशिष्ट "अ" को भी प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे । अप्रार्थीगण अवैध एवं अनाधिकृत रूप से चरण संख्या 05 में वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर रहे हैं और रास्ते को काटकर भूमि में मिलाने पर आमादा हैं । उक्त रास्ता 12 फीट चौडा है जो कम पडता है इसको 15 फीट चौडा किया जावे।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 में वर्णित एवं परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 323 में जाने का रास्ता घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे तथा अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी

निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमया जावे कि वे प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ।

4. अप्रार्थी कम 5 लगायत 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट समिधी में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 29.10.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा पर पहुंचने के लिए एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए खसरा नम्बर 322 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा में से 51 गठ्ठा * 02 गठ्ठा = 102 वर्ग गठ्ठा = रकबा 05 बिस्वा भूमि जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित किया हुआ है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर सरसरी तौर पर पत्रावली को कौर्ट कैम्प में ले जाकर एकपक्षीय व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त निर्णय पारित किया गया है। परीक्षण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान की तलबी में नियत थी । रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट आने पर ही आपत्ति व दस्तावेज प्रस्तुत किया जाकर पूर्व के रास्ते की स्थिति का अवलोकन कर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करना था परन्तु कोर्ट कैम्प में रेस्पोडेन्ट के द्वारा रास्ता बहाल करने, रास्ता चौडा करने एंव रास्ता घोषित करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई थी जबकि इस तरह के प्रार्थना पत्र में जब तक कोई वैकल्पिक रास्ता हो या सबसे नजदीक सुलभ रास्ता हो इन सब तथ्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है क्योंकि अपीलान्ट को उक्त पत्रावली कैम्प में निर्णय करने हेतु ले जाने की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट नियत पेशी दिनांक 3.1.01 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तो पता चला कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.201 को निर्णय पारित कर दिया है । जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्ट ने दिनांक 24.12.2021 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया और दिनांक 05.01.202 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था । उक्त प्रकरण की जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं कार्यवाही के दौरान अपना जवाब प्रस्तुत किया । पत्रावली दिनांक 06.09.2021 को वास्ते तलबी पक्षकार में नियत चल रही थी । उक्त दिनांक को नोटिस बोर्ड से आगामी पेशी दिनांक 23.12.2021 नियत की गई थी, परन्तु पत्रावली आगामी पेशी से पूर्व दिनांक 29.10.2021 को कैम्प में ले गये और उसी दिन 29.10.2021 को निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था और दस्तावेज प्रस्तुत करने थे । पत्रावली पक्षकारान की तलबी में नियत चल रही थी । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट आने पर ही आपत्ति व दस्तावेज प्रस्तत किया जाकर पूर्व के रास्ते की स्थिति का अवलोकन कर दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करना था परन्तु कैम्प में रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ता बहाल करने, रास्ता चौडा करने एंव रास्ता घोषित करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई थी जबकि इस तरह के प्रार्थना पत्र में जब तक कोई वैकल्पिक रास्ता हो या सबसे नजदीक सुलभ रास्ता हो इन सब तथ्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को उपस्थित रहा था । पक्षकारान की उपस्थिति में निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने कैम्प में उपस्थित होने के लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किये थे तथा दिनांक 29.10.2021 के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को उसी दिन हो गई थी । प्रार्थी ने उक्त अपील अवधि बाधित पेश की है तथा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे पर्याप्त एवं संतोषप्रद नहीं हैं । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार नैनवा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राशि जमा करवा दी है । परीक्षण न्यायालय ने पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण के आधार पर भी सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अपने कब्जे काश्त की आराजी पर आने-जाने हेतु रास्ता प्रदान कर उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.10.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा पर पहुंचने के लिए एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए खसरा नम्बर 322 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा में से 51 गठ्ठा * 02 गठ्ठा = 102 वर्ग गठ्ठा = रकबा 05 बिस्वा भूमि जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये ।

13. परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.02.2021 प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट की तामील होना मानते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किये । परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट समिधि में रखने बाबत् पक्षकारान को नोटिस जारी किये अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत् नोटिस उनके पुत्र मुकेश नागर को तामील होना अंकित किया है । इस प्रकार अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट समिधि में उपस्थित होने बाबत् नोटिस तामील हुए हैं । अपीलान्ट वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 का सगा भाई है और रिकॉर्डेड खातेदार है । कैम्प कोर्ट उनके ग्राम समिधि में ही रखा गया था । इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । अपीलान्ट के परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गई है । मौका रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता बिन्दु संख्या बी से सी लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य सीधा सुगम वैकल्पिक रास्ता नहीं है ।" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण यथासंभव 90 दिन में करने का प्रावधान है । उपखण्ड अधिकारी को Summary Inquiry कर उसका समयबद्ध निस्तारण करना होता है । अपीलान्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है जो परीक्षण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा